



2026:AHC: 10490

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43770/2025

शिव नारायण

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

आयुक्त झाँसी मंडल, झाँसी और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मंजीत कुमार, राम सजीवन प्रजापति

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दीपक कुमार

## न्यायालय संख्या-2

### माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 1-आयुक्त, झाँसी मंडल, झाँसी द्वारा वाद संख्या 234/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2025 को चुनौती दी गई है।
- उपरोक्त आदेश के माध्यम से मामले को प्रत्यर्थी संख्या 3-उप जिलाधिकारी, तहसील-मौठ, जनपद झाँसी के समक्ष नए सिरे से निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 04.10.2025 की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न तर्क दिए गए थे, लेकिन अंततः यह प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आदेश दिनांक 04.10.2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।
- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में भी, आदेश दिनांक 04.10.2025 में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण, प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.10.2025 के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद विधि के अनुसार कड़ाई से मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।